



2026:AHC-LKO:20088-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 2383 सन 2026

सोनी देवी एवं अन्य

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह विभाग लखनऊ
एवं अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	देवेंद्र कुमार सिंह, रतन गुप्ता
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11

माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती बबीता रानी

- याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 3 के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
- प्रस्तावित आदेश के मद्देनजर, प्रतिवादी संख्या 4 को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. यह रिट याचिका प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देने हेतु परमादेश रिट की मांग करते हुए दायर की गई है।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि दोनों याचिकाकर्ता बालिग हैं और उन्होंने 11.03.2026 को अपनी इच्छा से विवाह किया है। विवाह की कुछ तस्वीरें इस याचिका के अनुलग्नक संख्या 2 के रूप में संलग्न हैं। याचिकाकर्ताओं के बालिग होने के प्रमाण स्वरूप, उन्होंने अपनी हाई स्कूल मार्कशीट की प्रति रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 2 के रूप में प्रस्तुत की है। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका में शपथ-पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि दोनों याचिकाकर्ता बालिग हैं। यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 4 इस विवाह से प्रसन्न नहीं है और इसी कारण वह याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहा है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि इस संबंध में याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

5. इस संदर्भ में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य - 2006 (5) एससीसी 475** मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख करना उचित होगा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तर-17 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

“17. यह एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है, और एक बार जब कोई व्यक्ति बालिग हो जाता है, तो वह जिससे चाहे उससे विवाह कर सकता है। यदि लड़के या लड़की के माता-पिता ऐसे अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वे अधिकतम यह कर सकते हैं कि वे बेटे या बेटी से सामाजिक संबंध तोड़ लें, लेकिन वे धमकी नहीं दे सकते, हिंसा नहीं कर सकते या हिंसा के कृत्यों को उकसा नहीं सकते और ऐसे अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह करने वाले व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकते। इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि देश भर के प्रशासन / पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि यदि कोई बालिग लड़का या लड़की किसी बालिग महिला या पुरुष से अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह करता है, तो दंपति को किसी के द्वारा परेशान न किया जाए, न ही उन्हें धमकी दी जाए या हिंसा के कृत्यों का शिकार बनाया जाए, और जो कोई भी ऐसी धमकी देता है, परेशान करता है या हिंसा के कृत्यों को अंजाम देता है, चाहे स्वयं या

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उसके उकसावे पर, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस द्वारा आपराधिक कार्यवाही शुरू करके दंडात्मक कार्रवाई की जाए और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानून द्वारा निर्धारित कठोर कार्रवाई की जाए।”

6. याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण की भी अपील की है, जो गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
7. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका का निस्तारण प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण जीवन और स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप न करने के निर्देश के साथ किया जाता है।
8. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि इस मामले में पहले से कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज है, तो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा।
9. हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की आयु या कथित विवाह की सत्यता / वैधता पर कोई विचार नहीं किया है।
10. याचिकाकर्ताओं को आज से दो महीने के भीतर "उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियम, 2017" के तहत अपना विवाह पंजीकृत कराना होगा।
11. इस स्तर पर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता संख्या 1 के लिए गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
12. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता संख्या 1 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए जांच अधिकारी के माध्यम से 25.03.2026 को संबंधित प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित रहना होगा, अन्यथा अभियोजन पक्ष या शिकायतकर्ता द्वारा आवेदन किए जाने पर यह अंतरिम सुरक्षा वापस ली जा सकती है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



[न्यायमूर्ति श्रीमती बबीता रानी]

[न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन]

मार्च 19, 2026

रेणु/-

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।